संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/14/ भोपाल, दिनांक /12/2014

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मत्रालय,भोपाल ।

विषयः– संविदा के लिये निर्मित 300 पदों पर कार्यरत संविदा चिकित्सकों की सेवा अवधि में 06 माह की वृद्धि का प्रस्ताव।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमाक 1808 दिनांक 09.10.2014.

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा संविदा के लिये निर्मित 300 पदों पर कार्यरत संविदा चिकित्सकों की सेवा अवधि में दिनांक 15.02.2014 से 06 माह की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है (प्रति सलंग्न है)। कार्यवाही अपेक्षित है। सेवा–वृद्धि के अभाव में संविदा चिकित्सकों का मानदेय भुगतान नही किया जा सका है।

अतः कृपया शीघ्र कार्यवाही किये जाने का निवेदन है। संविदा चिकित्सकों की सेवा–वृद्धि की अनुमति की प्रत्याशा में संविदा चिकित्सकों के मानदेय भुगतान किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

//
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/14/2060 भोपाल, दिनांक 11 /12/2014
प्रतिलिपि :

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं,म.प्र. की और आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. की और भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि संविदा के लिये निर्मित 300 पदों पर निरंतर कार्यरत संविदा चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

11/XII/14

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
सतपुडा–भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 2014 /   भोपाल, दिनांक   / 12 / 2014

–:: आदेश ::–

कार्यालयीन आदेश क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 12 / 1767–68 दिनांक 03.10.2012 द्वारा बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना एवं बंधपत्र चिकित्सकों से लिये जाने वाले कार्य के संबध में दिशा–निर्देश जारी किये गयें है।

चिकित्सकों की कमी को देखते हुए दिनांक 03.10.2012 को जारी दिशा–निर्देश की कंडिका 06 "बंधपत्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सकों से एम.एल.सी.कार्य न लिया जावे" को विलोपित किया जाता है एवं यह निर्देशित किया जाता है, कि जहॉ तक संभव हो बंधपत्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सकों से कम से कम एम.एल.सी. का कार्य लिया जावे ।

निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त द्वारा आदेशित।

//
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 2014 / २१८२   भोपाल,दिनॉक २२ / 12 / 2014

प्रतिलिपि :सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निज सहायक,माननीय मंत्रीजी,म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
6. समस्त कलेक्टर म0प्र0।
7. समस्त मुख्य स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी म0प्र0 ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0 ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय, म0प्र0 ।

19/XII/14

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

D:\sunil\Sansodhan.doc